UPVR010098722025

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)
Sessions Case/809/2025

राज्य बनाम विक्रम भारद्वाज

मुकदमा अपराध संख्या-168/2023
धारा-376, 336, 504, 506, 507, 509 भा.दं.सं.
थाना-कैंट, जिला वाराणसी।

आरोप

मैं सुनील कुमार III, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) सं.-2 वाराणसी आप अभियुक्त **विक्रम भारद्वाज** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूंः-

प्रथमः-यह कि आप अभियुक्त के द्वारा तहरीर अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा-376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः-यह कि आप अभियुक्त के द्वारा जुलाई 2022 समय शाम लगभग 7.00 बजे अन्य पाँच लोगों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री के घर अवध रीजेंसी लखनऊ में घुसा और पिस्टल उसके सिर पर सटा दिया, जिससे उसकी पुत्री के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाला। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा-336 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः-यह कि आप अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा के होने वाले दामाद अंकित मिश्र के मोबाइल नम्बर-8299252016 पर व भिन्न-भिन्न मोबाइल नम्बर-9779665857520, 8859211697 पर भद्दी-भद्दी गालियाँ देकर अपमानित किया, जिससे कि वह उत्तेजित होकर लोकशान्ति भंग करने के लिये उत्प्रेरित हो सकता था। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा-504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ-यह कि आप अभियुक्त के द्वारा यह कि आप अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा के होने वाले दामाद अंकित मिश्र के मोबाइल नम्बर-8299252016 पर व भिन्न-भिन्न मोबाइल नम्बर-9779665857520, 8859211697 पर जान से मारने की धमकी दिया और वादी मुकदमा की पुत्री की अश्लील वीडियो को वायरल करने व अपनी रिवाल्वर का हवाई फायरिंग करने की धमकी देते हुए डराने के उद्देश्य से दो वीडियो वादी मुकदमा की पुत्री को भेजा। इस प्रकार आप

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.05.19 13:05:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम-यह कि आप अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री की अश्लील वीडियो को वायरल करने व अपनी रिवाल्वर का हवाई फायरिंग करने की धमकी देते हुए डराने के उद्देश्य से दो वीडियो वादी मुकदमा की पुत्री पर गुमनाम संचार के माध्यम से भेजा। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा-507 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम-यह कि आप अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री की सम्मान/गरिमा को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से (वादी मुकदमा का होने वाला दामाद अंकित मिश्र) के मोबाइल पर पीड़िता के चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए एवं उसकी अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसका अपमान किया, जिससे वादी मुकदमा की पुत्री की शादी टूट गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा-509 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि आप का परीक्षण उक्त धारा में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-20.05.2026

(सुनील कुमार III),
जे.ओ.कोड यू.पी.1826
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध)सं.-2,
वाराणसी।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचरण की मांग की

दिनांक-20.05.2026

(सुनील कुमार III),
जे.ओ.कोड यू.पी.1826
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध)सं.-2,
वाराणसी।

UPVR010098722025

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)

Sessions Case/809/2025

राज्य बनाम विक्रम भारद्वाज

मुकदमा अपराध संख्या-168/2023
धारा-336, 376, 504, 506, 507, 509 भा.दं.सं.
थाना-कैंट, जिला वाराणसी।

दिनांक-20.05.2026

पेश हुआ।

अभियुक्त **विक्रम भारद्वाज** उपस्थित है।

अभियुक्त विक्रम भारद्वाज के विरूद्ध थाना-कैंट जिला-वाराणसी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-168/2023 धारा-336, 376, 504, 506, 507, 509 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अपना केस प्रारम्भ करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि अभियुक्त विक्रम भारद्वाज के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप अन्तर्गत धारा-336, 376, 504, 506, 507, 509 भारतीय दंड संहिता प्रेषित किया गया है व अभियोजन अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रश्नगत आरोप साबित करेगा।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोप का कोई आधार नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त को आरोपित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन एवं केस डायरी तथा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा-336, 376, 504, 506, 507, 509 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त विक्रम भारद्वाज के विरूद्ध धारा-336, 376, 504, 506, 507, 509 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण किये जाने की माँग की।

पत्रावली दिनांक-05.06.2026 को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

साक्षीगण तलब हो।

दिनांक-20.05.2026

(सुनील कुमार III),
जे.ओ.कोड यू.पी.1826
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)सं.-2, वाराणसी।